## कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॅारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-0135-2767611

संख्या:- | 6 6 8 FP/UK/ROAD/9093/2015 देहरादूनः दिनांक ० ८ जनवरी, 2020 सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25—सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:-जनपद-नैनीताल में घुघुखान सौड मोटर मार्ग एवं देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग मोटर मार्ग के सम्बन्ध में। FP/UK/ROAD/9093/2015

सन्दर्भः— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 09-08-2019

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 09—08—2019 के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	EDS point wise reply has not been furnished by the State Govt. The reply of one points has been furnished but this point also does not pertain to the EDS point No-01 State Govt may submit the clarification in this regard.	प्रस्तावक विभाग द्वारा सम्बन्धित EDS के दानों बिन्दुओं में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण आनलाईन यथास्थान कर दिया गया है।
2	It is seen from the KML file that the road cutting work has already been constructed area and state Govt has mentioned that the road has already been constructed adjacent to be proposed alignment of the road by the villagers for movement in past. But proposed alignment does not seen constructed by the villagers. State Govt may get the area inspected by the CF in view of this points and violation of provision of FRA, if any the action taken by the DFO in the manner may be submitted to this office.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि KML file में प्रदर्शित प्रस्तावित मोटर मार्ग के समान्तर चल रहा पैदल मार्ग पूर्व में निर्मित मार्ग है। जिसका उपयोग ग्रामीणों द्वारा नौनिया विनायक से सौंड ग्राम के आवागमन हेतु किया जाता रहा है। उक्त मार्ग पर वाहनों का आवागमन सम्भव नहीं है। सडक ज्यामिती की विशिष्टियों के अनुरूप सर्वेक्षण करने पर पुराने पैदल मार्ग में मोटर मार्ग निर्माण सम्भव न होने के कारण पूर्व निर्मित पैदल मार्ग के लगभग समानान्तर मोटर मार्ग प्रस्तावित की गयी है। जिस हेतु दिनांक 22.11.2017 को स्थल निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण आख्या संलग्न है।(संलग्नक—1)
3	SoI toposheet map and geo referenced digital map of the area proposed for diversion have not been authenticated by DFO State Govt may submit the original copy of the maps duly authenticated by the DFO and upload the same at para C (iii) and C (iv) of part I online.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि Toposheet map एवं geo-refernced map को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पृथक रूप से यथास्थान अपलोड कर दिये गये है।(संलग्नक—2)

संलग्नक-यथोपरि।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय, (डी०जे०के० शर्मा)

पर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी